डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन



सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 126-स] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 5 जून 2001—ज्येष्ठ 15, शक 1923

विधि विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग
मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 जून 2001

क्रमांक 3016/21-प्रा/01.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (क्र. 5 सन् 2001) सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

"छत्तीसगढ़ मनोरंजन कर एवं विज्ञापन शुल्क अभिनियम (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (क्र. 5 सन् 2001)."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अध्यादेश

(क्रमांक 5 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ मनोरंजन कर एवं विज्ञापन शुल्क (संशोधन) अध्यादेश, 2001

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

छत्तीसगढ़ मनोरंजन कर एवं विज्ञापन शुल्क अधिनियम, 1936 को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

यत: राज्य के विधान मंडल का सत्र चालू नहीं है और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो गई हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि तुरन्त कार्रवाई करें.

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :

संक्षिप्त नाम.

1. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ मनोरंजन कर एवं विज्ञापन शुल्क (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (क्रमांक 5 सन 2001) है.

विस्तार.

2. इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर है.

प्रारंभ.

3. यह अध्यादेश शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगा.

4. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान छत्तीसगढ़ मनोरंजन कर एवं विज्ञापन शुल्क अधिनियम, 1936 (क्रमांक 30 सन् 1936) (जिसे इसके पश्चात् प्रमुख अधिनियम कहा गया है) निम्न धारा में वर्णित संशोधन के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

धारा 3-ख में विलोपन एवं प्रतिस्थापन.

5. (i) प्रमुख अधिनियम की धारा 3 (ख) में "को समेकित रकम" शब्दों को विलोपित किया जाएगा.

(ii) प्रमुख अधिनियम की धारा 3 (ख) में वर्तमान सारणी निम्नांकित सारणी द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी :

सारणी

अ.क्र. (1)	जनसंख्या (2)	प्रति केबल कनेक्शन प्रतिमाह मनोरंजन शुल्क की दर (3)
1.	1 से 20,000 तक	निरंक
2.	20,001 से 50,000 तक	रुपये 5/-
3.	50,000 से अधिक	रुपये 10/-

राज्यपाल

छत्तीसगढ़ राज्य.

रायपुर, दिनांक 5 जून 2001

क्रमांक 3016/21-प्रा/01.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ मनोरंजन कर एवं विज्ञापन शुल्क (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (क्र. 5 सन् 2001) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा, प्रकाशन किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ADHYADESH
(No. 5 of 2001)

The Chhattisgarh Manoranjan Kar Evam Vigyapan (Sansodhan) Adhyadesh, 2001

Promulgated by Governor in the fifty second year of the Republic of India.

An Adhyadesh further to amend the Manoranjan Kar Evam Vigyapan Shulk Adhiniyam, 1936.

Whereas the State Legislature is not in session and the Governor of Chhattisgarh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the clause (I) of Article 213 of the Constitution of India the Governor of Chhattisgarh is pleased to promulgate the following Adhyadesh:

Short title. 1. This Adhyadesh may be called the Manoranjan Kar Evam Vigyapan Shulk (Sansodhan) Adhyadesh, 2001 (No. 5 of 2001).

Extent. 2. It extends to the whole of Chhattisgarh State.

Commencement. 3. It shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

4. During the period of operation of this Adhyadesh, the Chhattisgarh Manoranjan Kar Evam Vigyapan Shulk Adhiniyam, 1936 (No. 30 of 1936) (hereinafter referred to as the Principal Act), shall have effect subject to amendment specified in following Section.

Deletion and Substitution in Section 3-B. 5. (i) In Section 3-B of the Principal Act the words "a consolidated amount of" shall be deleted.

(ii) The existing Table in the Section 3-B of the Principal Act shall be substituted by the following table :

TABLE

S. No. (1)	Population (2)	Entertainment tax per Cable Connection, per month (3)
1.	1 to 20,000	Nil
2.	20,001 to 50,000	Rs. 5/-
3.	above 50,000	Rs. 10/-

Governor
Chhattisgarh State.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.